न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4479–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–10–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर अपील प्रकरण कमांक 87/11–12.

विष्णुप्रसाद पिता दुर्गाप्रसाद शुक्ला
निवासी बाणगंगा, इन्दौर .....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, जिला इंदौर .....अनावेदक

श्री पी0जी0 पाठक, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मुंगी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/3/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–10–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि खनिज निरीक्षक, इन्दौर द्वारा अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ग्राम बारोली जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 4/1 एवं 4/2 कुल रकबा 2.023 हेक्टेयर, जो कि निजी भूमि है, में से आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया गया है । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 29–5–2001 को आदेश पारित

कर आवेदक के इस आवेदन पत्र को निरस्त किया गया कि शासकीय गवाहों तथा पंचनामा के गवाहों को आहूत किया जाये । अपर कलेक्टर के आदेश से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10–9–2001 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण साक्ष्य हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । इस बीच अपर कलेक्टर के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को अंतरित होने पर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–67/2007–08 दर्ज कर दिनांक 5–3–2008 को आदेश पारित कर आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना पाते हुए अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 17–6–2010 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24–10–2013 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) जिस भूमि से अवैध उत्खन्न किया जाना बतलाया जा रहा है, वह भूमि निजी भूमि है, जिस पर संहिता की धारा 247 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, उक्त प्रावधान केवल सरकार में निहित भूमियों पर ही लागू होते हैं ।

(2) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किये गये हैं, क्योंकि उनके द्वारा अपने आदेशों में साक्ष्य की किंचित मात्र भी विवेचना नहीं किया गया है ।

(3) मौके पर जे.सी.बी. मशीन पाई गई है, और जे.सी.बी. मशीन भूमि को समतल करने में उपयोग में लाई जाती है । इस आधार पर उल्लेख किया गया कि भूमिस्वामी द्वारा भूमि कृषि कार्य हेतु तैयार की जा रही थी, और उसके द्वारा कोई अवैध उत्खनन नहीं किया गया है ।

(4) खनिज अधिकारी के कथनों से भी स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि को समतल किया जा रहा था, कोई अवैध उत्खनन नहीं किया गया है ।

(5) खनिज अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में 9 वर्षों से अवैध उत्खनन किया जाना बतलाया गया है, जबकि अपने कथन में 1 वर्ष से अवैध उत्खनन किया जाना कहा गया है ।

(6) खनिज अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में निजी भूमि से अवैध उत्खनन कर नगर निगम को सप्लाई करने का उल्लेख किया गया है, जबकि आवेदक द्वारा नगर निगम को कोई सप्लाई नहीं की गई है ।

(7) आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित करने का भार राज्य शासन पर था, परन्तु राज्य शासन द्वारा अवैध उत्खनन प्रमाणित नहीं किया गया है ।

(8) साक्षी लाखन सिंह द्वारा कथन में स्वीकार किया गया है कि उसके समक्ष मुरम खुदाई का कार्य नहीं किया गया है, भूमि समतल करने हेतु जे.सी.बी. मशनी खड़ी थी । इससे भी स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन नहीं किया गया है ।

(9) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजर अंदाज किया गया है कि संहिता की धारा 247 (7) के अंतर्गत आवेदक पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, जबकि इस धारा में अर्थदण्ड अधिरोपित करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

तर्कों के समर्थन में 2005 आर.एन. 107, 1979 आर.एन. 579 व 90, 1959 जे.एल.जे. 627, 2004 आर.एन. 151, 1979 एम.पी.डब्ल्यू.एन. 167, 1973 आर.एन. 361, 2000 आर.एन. 239 एवं 1993 आर.एन. 426 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत साक्ष्य से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित किया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के अनुमति भूमि पर अवैध उत्खनन किया गया है । संहिता की धारा 247 (1) के अंतर्गत समस्त खदानों/खनिज पर सरकार का नियंत्रण होता है, जिसमें निजी/शासकीय भूमि संबंधी कोई अन्तर नहीं है । अतः संहिता की धारा

247 (7) के प्रावधान इस प्रकरण में लागू होंगे । अपर आयुक्त द्वारा भी अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक द्वारा मुरम उत्खनन के लिए सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, और कोई भी व्यक्ति जो विधि पूर्ण अधिकार के बिना किसी ऐसी खान या खदान से जिसका अधिकार सरकार में निहित है तथा सरकार द्वारा समनुदेशित नहीं किया गया है, खनिजों को निकालेगा या हटायेगा तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–10–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर